पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1359

दिनांक 06.06.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **01 गुमशुदा मोबाईल फोन (कीमत करीब 01 लाख 33 हजार) को उसके वास्तविक धारक को सुपुर्द किया गया**

01-संक्षिप्त विवरण :–

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ के CEIR पोर्टल पर गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु श्री ऋषभ रूणवाल, सहायक पुलिस आयुक्त गोसांईगंज कमिश्नरेट लखनऊ के मार्गदर्शन में पुलिस टीम का गठन किया गया व श्री उपेन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ के नेतृत्व मे स0उ0नि0 दीपांकर गुप्ता द्वारा तकनीकी विश्लेषण कर मोबाइल फोन को ट्रेस किया गया। इस कार्यवाही मे करीब **01 लाख 33 हजार रूपये का SAMSUNG S23 ULTRA मोबाइल फोन** को बरामद किया गया ।

बरामद मोबाइल फोन को उसके वास्तविक मोबाइल धारक को सुपुर्द किया गया । खोया हुआ मोबाइल फोन पाकर मोबाइल धारक द्वारा पुलिस को धन्यवाद दिया गया ।

02-बरामदगी :-

➢ SAMSUNG S23 ULTRA

03-बरामद करने वाली पुलिस टीम :–

1. प्र0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह
2. स0उ0नि0 श्री दीपांकर गुप्ता
3. कां0 राजकुमार गोंड

04-सलाह अपील :–

अगर मोबाइल फोन गुम हो जाये तो ये कदम भी उठाए जा सकते है:

- सबसे पहले, UPCOP पर LOST ARTICLE पर अपना रजिस्ट्रेशन करे।
- फिर, पुराने सिम को ब्लॉक करने और नया सिम लेने के लिए, नजदीकी सिम सेवा प्रदाता स्टोर पर जाएं
- CEIR पोर्टल पर जाएं और BLOCK STOLEN/LOST MOBILE पर विवरण दर्ज करें ।
- फार्म मे पुलिस कंप्लेंट नंबर दर्ज करे ।
- अपना नाम, पता, पहचान पत्र और ई मेल आईडी दर्ज करे
- फार्म सबमिट हो जाने के बाद, एक शिकायत आईडी मिलेगी।
- इस आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखे।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1360

दिनांक 06.06.2025

जोन- दक्षिणी /थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 नफर अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार ।**

1-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 06.06.2025 को उ0नि0 शिवाकांत तिवारी मय पुलिस टीम के थाना हाजा से रवाना होकर बिनावर देख भाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन में मामूर होकर चौकी क्षेत्र अंसल में मामूर था कि सूचना प्राप्त हुई कि घुसवल गाव के पास कुछ व्यक्ति झगड़ा कर रहे है।

इस सुचना पर उ0नि मय पुलिस टीम के मौके पर आया तो देखा कि प्रथम पक्ष के चंद्रप्रकाश पुत्र श्री किशन निवासी घुसवल थाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष द्वितीय पक्ष के रितेश पुत्र बुलाकी निवासी घुसवल थाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ से किसी बात को लेकर वाद विवाद कर रहे है। जब हम पुलिस वालो द्वारा दोनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो दोनों व्यक्ति हम पुलिस वालो की एक भी बात न मानकर और तेज तेज आवाज में बोलने लगे व आमादा फौजदारी पर उतारू हो गए। कोई संज्ञेय अपराध कारित होने से रोकने के दृष्टगत अलावा गिरफ्तारी के अन्य कोई चारा न देख कारण गिरफ्तारी बताते हुए अन्तर्गत धारा 170/126/133 भा0ना0सु0सं0 में हिरासत पुलिस में लेकर माननीय न्यायालय प्रेषित की जा रहा है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

1. चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री किशन निवासी घुसवल थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष
2. रितेश पुत्र बुलाकी निवासी घुसवल थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना - सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1358
दिनांक-06.06.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- सैरपुर

- **थाना सैरपुर की टीम द्वारा अपहरण की घटना कारित करने वाला अभियुक्त अर्पित उर्फ गोलू को किया गया गिरफ्तार।**
- **उक्त मुकदमा के शीघ्र निस्तारण हेतु उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थाना स्तर पर अभियुक्त के तलाश/गिरफ्तारी हेतु की गयी थी टीम गठित।**
- **पीडिता/अपहर्ता को दिनांक 04/06/2025 को बरामद कर मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।**
- **पीडिता/अपहर्ता के नाबालिग होने के साक्ष्य पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 137(2) की बढ़ोत्तरी की गयी।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31/05/2025 को आवेदिका द्वारा थाना सैरपुर लखनऊ पर सूचना दिया गया कि दिनांक 30/05/2025 समय रात्रि 01.00 बजे उसकी बेटी को पड़ोस के रहने वाला अर्पित उर्फ गोलू पुत्र राम किशोरी निवासी ग्राम भुड़पुरवा थाना सैरपुर लखनऊ उम्र 25 वर्ष द्वारा भगा ले जाने के सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त हुआ था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 64/2025 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री संदीप कुमार मिश्रा द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त व पीडिता/अपहर्ता की तलाश प्रारम्भ की गयी, पीडिता/अपहर्ता को दिनांक 04/05/2025 को आईआईएम तिराहा के पास से बरामद किया गया। विवेचना के क्रम में पीडिता/अपहर्ता के नाबालिग होनी की साक्ष्य पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 137(2) की बढ़ोत्तरी कर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रीम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आज दिनांक 06.06.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर खटैया मार्ग से अभियुक्त अर्पित उर्फ गोलू पुत्र राम किशोरी निवासी ग्राम भुड़पुरवा थाना सैरपुर लखनऊ उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

01-अर्पित उर्फ गोलू पुत्र राम किशोरी निवासी ग्राम भुड़पुरवा थाना सैरपुर जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष (खेती)

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना सैरपुर-

1. श्री संदीप कुमार मिश्रा
2. का0 अरविन्द कुमार वर्मा

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1354

दिनांक 06/06/2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- कस्बा मोहनलालगंज में अतिक्रमण हटाकर सौंदर्यीकरण एवं यातायात व्यवस्था हेतु पुलिस की पहल ।

कार्यवाही :-

पुलिस उपायुक्त दक्षिणी **श्री निपुण अग्रवाल** के निर्देशन में तथा अपर पुलिस उपायुक्त **श्री अमित कुमावत** के कुशल पर्यवेक्षण में, **सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री रजनीश वर्मा**, **प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री डी.के. सिंह** एवं **अधिषासी अधिकारी मोहनलालगंज** के संयुक्त प्रयासों से कस्बा मोहनलालगंज में **गोसाईगंज मोड़** एवं **मौरावां मोड़** के पास स्थित **खाली स्थानों पर हुए अतिक्रमण** को चिन्हित कर हटाया गया ।

इस अभियान के अंतर्गत:-

- अतिक्रमण मुक्त किए गए स्थानों पर **सौंदर्यीकरण कार्य** आरंभ किया जा रहा है।
- ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाने हेतु **चेतावनी बोर्ड** लगाए गए हैं।
- आम नागरिकों एवं व्यापारियों को निम्नलिखित **निर्देशों** का पालन करने की **सख्त चेतावनी** दी गई है:-

🚫 सार्वजनिक चेतावनी एवं दिशा-निर्देश:-

1. **किसी भी प्रकार के वाहन को चौराहा/तिराहा से 50 मीटर के अंदर खड़ा करना पूर्णतः वर्जित है।**
2. **सभी व्यापारीगण अपने वाहन निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा करें।** दुकान के सामने **कोई बोर्ड, ठेला या अन्य सामग्री न रखें** जिससे मार्ग अवरुद्ध हो और जाम की स्थिति उत्पन्न हो।
3. **सड़क किनारे बनी सफेद पट्टी के अंदर वाहन पार्क करना सख्त मना है।**

यह अभियान **जनहित** एवं **कस्बे की सुव्यवस्थित व्यवस्था** हेतु चलाया जा रहा है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध **वैधानिक कार्रवाई** की जाएगी।

मोहनलालगंज पुलिस एवं नगर प्रशासन आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता है ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1357
दिनांक: 06.06.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-मडियांव

- **नकली शराब बनाने वाले गिरोह का फर्दाफाश।**
- **गिरोह के 03 शातिर नकली शराब बनाने वाले अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 641 बोतल विभिन्न ब्राण्ड व मात्रा की बोतले व फर्जी क्यूआर कोड (अनुमानित कीमत 1 लाख 20 हजार रूपये) बरामद।**
- **गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा नकली शराब बनाकर नकली क्यूआर कोड लगाकर शराब बेचने का काम करके धनोपार्जन।**
- **अपराध शाखा लखनऊ व थाना मड़ियांव की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.06.2025 को क्राइम टीम लखऊ व थाना मडियांव की संयुक्त पुलिस टीम थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम पेडिंग विवेचना में आईआईएम तिराहे सीतापुर रोड़ पर मौजूद होकर क्षेत्र में हो रहे अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में आपस में वार्ता कर रहे थे कि जरिये मुखबिर खास द्वारा पास आकर बताया कि कुछ लोग जो अन्य राज्यों से शराब लाकर उ0प्र0 के मार्का पर बेचते हैं वह लोग उसी तरीके की शराब को तैयार कर गाडी में रखकर कहीं बेचने के उद्देश्य से यादव चौराहे से पहले सर्विस रोड़ पर खडें हैं। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते है। मुखबिर की सूचना के आधार पर बताये गये व्यक्तियों को पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर पहले व्यक्ति ने अपना नाम विशाल पुत्र महेश चन्द्र जयसवाल मूल पता ग्राम व पोस्ट पौटा कला थाना पडखेरा जनपद पीलीभीत हाल पता मकान नं0 20 नजीर गंज डालीगंज थाना हसनगंज लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अजय जयसवाल पुत्र स्व0 राज किशोर जयसवाल मूल पता- 614/44 प्रीतीनगर थाना मडियांव लखनऊ हाल पता A 51 बसंत मार्ग बसंत विहार नई दिल्ली उम्र 45 वर्ष तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम पंकज सिंह पुत्र कमलेश सिंह निवासी मूल पता ग्राम अमिरती पोस्ट पल्हरी थाना रेऊसा जनपद सीतापुर हाल पता ऑफिसर्स कालोनी कल्याणपुर थाना गुडम्बा लखनऊ बताया। बताये गये व्यक्तियों के कब्जे से 641 बोतल विभिन्न ब्राण्ड व मात्रा की बोतले व फर्जी क्यूआर कोड (अनुमानित कीमत 1 लाख 20 हजार रूपये) बरामद हुआ।

बरामद शराब के सम्बन्ध में पूछने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि चंडीगढ, हरियाणा राज्य से शराब तस्करी कर अवैध धनार्जन के प्रयोजन से खाली शराब की बोतलों में गैर राज्यों से लाई हुई शराब में मिलावट कर खाली बोतलों में शराब भरकर नकली क्यू आर कोड छापकर छल पूर्वक बोतलों पर चस्पा कर विभिन्न क्षेत्रो में बिक्री कर अनुचित धनार्जन करते हैं। यह कार्य हम लोग निरंतर करते हैं। तथा इसी के माध्यम से धनार्जन कर अपना जीवन यापन करते हैं।

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

थाना मडियांव लखनऊ की पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्रा
2. उ0नि0 श्रीआलोक कुमार चौधरी
3. उ0नि0 श्री नितिन कुमार
4. उ0नि0 शुभम तिवारी
5. उ0नि0 श्री शुभम तिवारी
6. उ0नि0 श्री अखिलेश सिंह
7. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र कुमार
8. हे0का0 मिथलेश गिरी
9. का0 मंजेश
10. का0 दिग्विजय यादव

अपराध शाखा कमिश्नरेट लखनऊ की पुलिस टीम

01.निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्रा
02.उ0नि0 श्री शुभम परासर
03.उ0नि0 श्री आशुतोष पाण्डेय
04.उ0नि0 श्री प्रकाश सिंह
05.उ0नि0 श्री मुहम्मद असलम
06.हे0का0 अतुल कुमार पाण्डेय
07.हे0का0 अरुण कुमार
08.हे0का0 अमित कुशवाहा
09.हे0का0 दिलीप कुमार
10.हे0का0 इंद्रप्रताप सिंह
11.हे0का0 जीत सिंह
12.हे0का0 मनोज कुमार शुक्ला
13.हे0का0 धीरज
14.हे0का0 पवन
15.का0 नाहर सिंह
16.का0 मुकेश
17.का0 देशराज मुखिया

पकड़े गये व्यक्ति को उसके द्वारा कारित जुर्म व जुर्म धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। फर्द बरादमगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 314/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

मौके पर बरामद वाहन संख्या UP32NW7285 को धारा 72 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जब्तीकरण के उद्देश्य से कब्जा पुलिस में लिया गया। दौरान गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य

अभियुक्तगण द्वारा नकली शराब बनाकर नकली क्यूआर कोड लगाकर शराब बेचकर अपनी जरूरतो को पूरा करने व धनोपार्जन।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. विशाल पुत्र महेश चन्द्र जयसवाल मूल पता ग्राम व पोस्ट पौटा कला थाना पडखेरा जनपद पीलीभीत हाल पता मकान न0 20 नजीर गंज डालीगंज थाना हसनगंज लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष (व्यवसाय- मेडिकल स्टोर चलाता है)।
2. अजय जयसवाल पुत्र स्व0 राज किशोर जयसवाल मूल पता- 614/44 प्रीतीनगर थाना मडियांव लखनऊ हालपता A 51 बसंत मार्ग बसंत विहार नई दिल्ली उम्र 45 वर्ष (व्यवसाय- आटो चालक दिल्ली में)।
3. पंकज सिंह पुत्र कमलेश सिंह निवासी मूल पता ग्राम अमिरती पोस्ट पल्हरी थाना रेऊसा जनपद सीतापुर हाल पता ऑफिसर्स कालोनी कल्याणपुर थाना गुडम्बा लखनऊ (व्यवसाय-ओला चालक लखनऊ में)।

04-अनावरित अभियोग

01-मु0अ0सं0 314/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना मड़ियांव

05-अभियुक्त विशाल उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 382/2024 धारा60/63 आबकारी अधिनियम व 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना कोतवाली सीतापुर

2. मु0अ0सं0 0076/2020 धारा60/63 आबकारी अधिनियम व 420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत

अन्य अभियुक्तगणों के अपराधिक इतिहास के बारे में जनपद के अन्य थानों व जनपदों से जानकारी की जा रही है।

05-बरामदगी

- कुल 641 अदद बोतल अंग्रेजी शराब
- 4566 अदद नकली क्यू आर कोड व स्टीकर
- 402 अदद शराब की बोतल के ढक्कन सील सहित
- 1343 शराब की बोतल की ढक्कन
- घटना में प्रयुक्त वाहन वैगनार कार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1356
दिनांक-06.06.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 03 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06.06.2025 को उ0नि0 श्री रामदेव मय हमराह पुलिस बल के साथ कस्बा इटौंजा में मामूर थे कि सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम चकपृथ्वीपुर मे कुछ व्यक्ति विवाद कर रहें हैं। इस सूचना पर उप-निरीक्षक उपरोक्त मय पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया कि प्रथम पक्ष के 01-अमरेश कुमार पुत्र मोतीलाल उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम चकपृथ्वीपुर थाना इटौंजा लखनऊ 02-मोतीलाल पुत्र मोहन उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम चकपृथ्वीपुर थाना इटौंजा लखनऊ व द्वितीय पक्ष के 01-कमल कुमार पुत्र रमेश चन्द्र उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम चकपृथ्वीपुर थाना इटौंजा लखनऊ पूर्व मे थाना इटौंजा पर मुकदमा पंजीकृत कराये जाने को लेकर वाद विवाद कर रहे थे।

दोनो पक्षों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो नही माने और अधिक उत्तेजित होकर आमादा फौजदारी होने लगे। शान्ति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए व किसी संज्ञेय अपराध घटित होने के दृष्टिगत गिरफ्तारी के सिवाय अन्य कोई चारा न देखते हुये दोनो पक्षों के विरूद्ध चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-अमरेश कुमार पुत्र मोतीलाल उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम चकपृथ्वीपुर थाना इटौंजा लखनऊ
02-मोतीलाल पुत्र मोहन उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम चकपृथ्वीपुर थाना इटौंजा लखनऊ
03-कमल कुमार पुत्र रमेश चन्द्र उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम चकपृथ्वीपुर थाना इटौंजा लखनऊ

03-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना इटौंजा-

1. उ0नि0 श्री रामदेव थाना इटौंजा लखनऊ
2. का0 चन्द्रवीर थाना इटौंजा लखनऊ
3. का0 राहुल चौधरी थाना इटौंजा लखनऊ

साइबर क्राइम पुलिस थाना कमिश्नरेट लखनऊ
टीसी-33, वी-2 विभूतिखण्ड गौमतीनगर लखनऊ
ईमेल आईडी- ccpsstf.lu-up@gov.in
मो0नं0 7839876640

प्रेस नोट सं0-1355 दिनांक-06/06/2025

साइबर क्राइम थाना लखनऊ द्वारा माह- मई, 2025 में लगभग 4912863.24/- रूपये की धनराशि पीड़ितो के खाते में वापस करायी गयी।

अवगत कराना है कि विगत माह में साइबर अपराधियो द्वारा विभिन्न तरीको से बहला-फुसलाकर आम जनमानस के साथ साइबर फ्रॉड किया गया, जिनके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर श्रीमान् पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ के निर्देशन में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त (अपराध), श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध), श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त अपराध महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम थाना लखनऊ पर प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव के नेतृत्व में ठगी की गयी धनराशि की बरामदगी/वापसी हेतु टीम गठित की गयी, जिसमें प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना लखनऊ के निर्देशन में टीम बनाकर त्वरित कार्यवाही करते हुये **विगत माह मई-2025 में लगभग 4912863.24/-** रूपये की धनराशि पीड़ितो के खाते में वापस करायी गयी।

अभियोग एवं वापस करायी गयी धनराशि का विवरण-

माह - मई, 2025		
क्र0सं0	**क्राइम नं0**	**वापस करायी गयी धनराशि**
1	132/2024	53010
2	176/2024	120766
3	183/2024	35000
4	03/2025	199000
5	07/2025	200000
6	17/2025	350000
7	26/2025	1963
8	29/2025	232976
9	31/2025	137302
10	34/2025	636527
11	36/2025	794313
12	59/2025	587757.99
13	60/2025	1417227
14	63/2025	147021.25
कुल धनराशि		**4912863.24**

गिरफ्तारी एवं धनराशि बरामद/वापस कराने में अधिकारी/कर्मचारी –

1. प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार यादव साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
2. निरीक्षक अनिल कुमार मिश्र साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
3. निरीक्षक डा0 विनोद सिंह साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
4. निरीक्षक दीपक कुमार पाण्डेय साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
5. निरीक्षक शैनेन्द्र सिंह साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
6. उ0नि0 गुलाम हुसैन साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
7. उ0नि0 रोहित पंवार साइबर क्राइम थाना लखनऊ।
8. उ0नि0 नीतू सिंह साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
9. मु0आरक्षी विवेक यादव साइबर क्राइम थाना लखनऊ।
10. का0 संजय कुमार साइबर क्राइम थाना लखनऊ।
11. का0 राजेश तिवारी साइबर क्राइम थाना लखनऊ ।
12. का0 हेमन्त त्रिपाठी साइबर क्राइम थाना लखनऊ।
13. का0 सौरभ गंगवार साइबर क्राइम थाना लखनऊ।
14. का0 देव कुमार पाण्डेय साइबर क्राइम थाना लखनऊ।
15. का0 सचिन साइबर क्राइम थाना लखनऊ।
16. म0का0 प्रियंका साइबर क्राइम थाना लखनऊ।
17. म0का0 दीपमाला साइबर क्राइम थाना लखनऊ।

08-ऑपरेशन में भाग लेने वाली पुलिस टीम

1. **निरीक्षक सुभाष चंद्र**
    - प्रभारी निरीक्षक
    - **थाना:** आलमबाग, लखनऊ
    - **भूमिका:** ऑपरेशन लीडर, जिन्होंने अभियुक्त पर अंतिम फायरिंग की
2. उपनिरीक्षक संदीप कुमार
3. उपनिरीक्षक सुरेश कुमार
4. उपनिरीक्षक पंकज कुमार
5. उपनिरीक्षक हरिओम प्रताप सिंह
6. उपनिरीक्षक अवनीश यादव
7. उपनिरीक्षक शुभम मेंहदियान
8. उपनिरीक्षक सुनील कुमार मोतला

2. हेड कॉन्स्टेबल

9. हेड कॉन्स्टेबल राजीव शंकर
10. हेड कॉन्स्टेबल बृजेंद्र यादव
11. हेड कॉन्स्टेबल रविंद्र प्रताप वर्मा

3. कॉन्स्टेबल

12. कॉन्स्टेबल अजय कुमार
13. कॉन्स्टेबल अविनाश कुमार
14. कॉन्स्टेबल अंकित कुमार
15. कॉन्स्टेबल रवेंद्र कुमार

2. **जवाबी कार्रवाई:**

- पुलिस द्वारा तीन बार सरेंडर का आह्वान किया गया।
- अभियुक्त द्वारा पुनः फायरिंग के प्रयास के बाद, प्रभारी निरीक्षक ने आत्मरक्षा में:
  - दो गोलियाँ (सरकारी पिस्टल से) चलाई
  - एक गोली अभियुक्त के सीने में लगी

3. परिणाम:

- घायल अभियुक्त को लोकबंधु अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया।

04- पुलिस मुठभेड़ में मारे गये अभियुक्त का विवरण-

नाम: दीपक वर्मा उर्फ नन्हू (उम्र करीब 25 वर्ष)

पिता का नाम: राधे श्याम वर्मा

निवासी:

- **मूल पता:** म0न0 268/327 राम नगर ऐशबाग अवध पब्लिक स्कूल लखनऊ
- **वर्तमान पता:** डूडा कालोनी चुन्नू खेडा थाना पारा लखनऊ

05-मौके से बरामदगी:

क्र.	**वस्तु**	**विवरण**
1.	देशी तमंचा	315 बोर
2.	कारतूस	02 जिंदा, 01 खोखा (315 बोर)
3.	नकदी ₹270	(एक ₹500 का नोट सहित)
4.	मोबाइल	पोको एंड्रॉइड फोन
5.	वाहन	हीरो स्प्लेंडर स्कूटी (UP32PV4804

06-अनावरित/पंजीकृत अभियोग-

थाना आलमबाग,लखनऊ

1. **मु.अ.सं. 98/2025:** POCSO धारा 5(m)/6 + BNS धारा 65(2)
2. **मु.अ.सं. 99/2025:** BNS धारा 109(1) + आर्म्स एक्ट धारा 3/25/27

07-आपराधिक इतिहास:

- थाना पारा: मु.अ.सं. 249/24 (धारा 504/506 IPC)
- थाना हजरतगंज: मु.अ.सं. 281/21 (धारा 147/323/504/506 IPC)

सभी पुलिस वालों ने अदम्य साहस शौर्य का परिचय देते हुए एवं जान की परवाह न करते हुए प्रशिक्षण मे दी गयी सिखलाई व टेक्टिकल हरकतो एंव हिकमत अमली से अभियुक्त के पुन: जानलेवा हमले से बचने के उद्देश्य से आत्मरक्षार्थ मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल से दो राउण्ड फायर किया गया । फायर लगने से उक्त व्यक्ति घायल होकर गिर गया।

पुलिस टीम अपने बचाव में आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग गया जिससे अभियुक्त दीपक वर्मा उर्फ नन्हू पुत्र राधे श्याम वर्मा निवासी म0न0 268/327 राम नगर ऐशबाग अवध पब्लिक स्कूल लखनऊ हाल पता डूडा कालोनी चुन्नू खेडा थाना पारा लखनऊ घायल हो गया।

पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ किये गये संयमित व नियंत्रित कार्यवाही में अभियुक्त के शरीर से रक्त स्राव हो रहा था अतः उसके जीवन को सुरक्षित रखने एंव प्राण रक्षा के उद्देश्य घायल अभियुक्त को **लोकबन्धु अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया,** जहां पर इलाज के दौरान अभियुक्त उपरोक्त की मृत्यु हो गयी जिसे डाक्टरों द्वारा प्रमाणित किया गया। **मृतक का पोस्टमॉर्टम विधिवत कराया जा रहा है।**

03-घटना का संक्षिप्त विवरण-

1. **अपराधिक पृष्ठभूमि**:
   - दीपक वर्मा उर्फ नन्हू पुत्र राधे श्याम वर्मा निवासी म0न0 268/327 राम नगर ऐशबागअवध पब्लिक स्कूल लखनऊ हाल पता डूडा कालोनी चुन्नू खेडा थाना पारा लखनऊ 24 वर्ष में रह रहा था।
   - अभियुक्त पहले से ही **98/2025 {धारा 65(2) बीएनएस व 5m/6 पाक्सो अधिनियम} से सम्बन्धित** जघन्य अपराध में वांछित था।
   - पुलिस टीम पर हमला व बरामदगी के आधार पर **मु.अ.सं. 92/2025** (धारा 109(1) BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट) पंजीकृत किया गया।

2. मुठभेड़ का क्रमवार विवरण-

1. **पुलिस कार्रवाई:**
   - दिनांक 06.06.2025 को पुलिस को सूचना मिली कि अभियुक्त भागने की योजना बना रहा है।
   - **पुलिस टीम ने** देवीखेडा रोड पर तिराहे से 200 मी0 आगे चलकर **अभियुक्त की सफेद हीरो स्प्लेंडर स्कूटी (UP32PV4804) को रोकने का प्रयास किया।**
   - **निरीक्षक सुभाष चंद्र** के नेतृत्व में 15 सदस्यीय टीम ने देवीखेडा रोड पर अभियुक्त को घेरा।
   - अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया लेकिन गिर गया। पुलिस द्वारा घेराबंदी करने पर उसने **देशी तमंचे (315 बोर)** से पुलिस पर **दो गोलियाँ** चलाईं:
     - **पहली गोली**: चूक गई।
     - **दूसरी गोली**: प्रभारी निरीक्षक के बुलेटप्रूफ जैकेट में धंस गई

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1352
दिनांक-06.06.2025

जोन- मध्य / थाना आलमबाग

मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध करने वाला शातिर वांछित अभियुक्त 24 घंटे के अन्दर पुलिस मुठभेड़ में ढेर, अवैध हथियार, कारतूस व स्कूटी बरामद।

- घटना कारित करने वाला शातिर वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।
- मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पास से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय एक अदद खोखा कारतूस व 02 अदद जिन्दा कारतूस व एक स्कूटी एक्टिवा सफेद रंग बरामद।
- अभियुक्त करीब 2.5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म (POCSO अधिनियम के तहत) का आरोपी था।
- थाना आलमबाग पुलिस की सख्त कार्यवाही।

01-कार्यवाही-

दिनांक 05/06.06.2025 को थाना आलमबाग पुलिस द्वारा देर रात्रि समय करीब 02.55 से 03.05 बजे के बीच एक शातिर वांछित अपराधी दीपक वर्मा उर्फ नन्हू (आयु 24 वर्ष) को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। यह अभियुक्त 2.5 वर्ष की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म (POCSO अधिनियम के तहत) का आरोपी था।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05/06.06.2025 को थाना क्षेत्र में देर रात्रि पुलिस टीम द्वारा की गई सघन चेकिंग के दौरान एक महत्वपूर्ण मुठभेड़ में एक वांछित अभियुक्त मारा गया। **उक्त अभियुक्त मु0अ0सं0 -98/2025 धारा 65(2) बीएनएस व 5m/6 पाक्सो अधिनियम से सम्बन्धित** पीडिता उम्र करीब 2.5 वर्ष के साथ गलत काम करने के गम्भीर अपराध में थाना आलमबाग पर वांछित था।

पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि उक्त अभियुक्त अपना सामान लेकर कही भागने की फिराक में हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने देवीखेडा रोड पर तिराहे से करीब 200 मीटर आगे थाना क्षेत्र आलमबाग पर अभियुक्त को रोकने का प्रयास किया तो उक्त अभियुक्त द्वारा पीछे मुड़कर तेजी से भागने का प्रयास किया कि करीब 50 कदम की दूरी पर स्कूटी फिसलकर गिर गयी।

स्कूटी सवार व्यक्ति स्कूटी छोड़कर पुलिस वालों पर लक्ष्य साधते हुए **जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया जो मिस हो गया।** तब पुलिस जनो द्वारा तेज आवाज मे बताया गया कि हम पुलिस वाले है और तुम पुलिस के घेरे मे हो **आत्म समर्पण** कर दो परन्तु उसके ऊपर कोई असर नही पड़ा उसके द्वारा पुन: दूसरा कारतूस भरकर फायर किया गया **जिसकी गोली प्रभारी निरीक्षक के पहने हुए बुलेट प्रूफ जैकेट मे आकर लगी।**